

To be published in an Extraordinary issue of the
Official Gazette of the State immediately.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001.

Dated: 12th June, 2018
by No. 22, 1940 (Sukra)

NOTIFICATION

No. 322/MT-LC-G&T/2018: - WHEREAS, the Commission, vide its Notification No. 322/MT-LC-G&T/2018 dated 31st May, 2018, had notified the schedule for the biennial election to the Maharashtra Legislative Council from 2 Graduates' and 2 Teachers' Constituencies; and

WHEREAS, the poll day for the above election was fixed as 25th June, 2018 and the hours during which poll to be taken was fixed as 8.00 A.M. to 4.00 P.M.; and

WHEREAS, a reference was received to extend the timing of the poll for the said election; and

WHEREAS, the Commission, after taking into consideration the matter, has decided to extend the duration of poll for said election by 2 hours i.e from 7.00 A.M. to 5.00 P.M.;

Now, therefore, the Commission, in exercise of its powers conferred under section 56 of the Representation of the People Act, 1951, hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 322/MT-LC-G&T/2018 dated 31st May, 2018, namely;

For the existing entry of clause (B) following entry shall be substituted:

"(B) fixes the hours from 7.00 A.M. to 5.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election."

By Order


(VARINDER KUMAR)
PRINCIPAL SECRETARY

राज्य के शासकीय राजपत्र के
असाधारण अंक में तत्काल प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 13 जून, 2018

खण्ड 23, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं. 322/महा.-वि.प.-स्ना.एवं सि./2018: यतः, आयोग ने दिनांक 31 मई, 2018 की अपनी अधिसूचना सं. 322/महा.-वि.प.-स्ना. एवं सि./2018 के द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के 2 स्नातक एवं 2 शिक्षक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन की अनुसूची अधिसूचित कर दी थी, और

यतः, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए मतदान की तारीख 25 जून, 2018 और मतदान का समय पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया था; और

यतः उक्त निर्वाचन के लिए मतदान का समय बढ़ाने के बारे में एक सन्दर्भ प्राप्त हुआ था; और


यतः, आयोग ने इस मामले पर विचार करने के पश्चात, उक्त निर्वाचन के लिए मतदान का समय 2 घंटे अर्थात् पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अब, इसलिए, आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देता है कि दिनांक 31 मई, 2018 की इसकी अधिसूचना सं. 322/महा.-वि.प.-स्ना.एवं सि./2018 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात्;

खण्ड (आ) की विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(आ) निर्वाचन के लिए उपर्युक्त निर्धारित तारीख को पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।"

आदेश से,



(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव